खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद।

सेवा में,

पत्रांक– .... /न०नि०

श्रीमती पुष्पा सिन्हा पति– श्री रंजन कुमार सिन्हा 2. श्री राजकिशोर प्रसाद
पिता– स्व० शिवशरण लाल 3. श्रीमती प्रेमलता प्रसाद पति–श्री राजकिशोर प्रसाद,
पता– न्यू कॉलोनी, सरायढेला, धनबाद।

धनबाद, दिनांक..............

विषय:– आवासीय / व्यवसायिक / औद्योगिक / संस्थागत भवन निर्माण हेतु गृह प्लान केश नं० बी०डी०–876/12–13 संबंधी आपके आवेदन दिनांक 12.3.13 के संबंध में।

महाशय,

आपके आवेदन, दलील संख्या–1553, 1539, 1552 .... दाखिल खारिज अभिलेख संख्या–2158।11।12, 2155।11।12, 2156।11।12–13 जमाबंदी संख्या 5450, 5448, 5449 .... से निर्गत लगान रसीद वर्ष .... 12–13 .... की अभिप्रमाणित प्रति, शपथ पत्र एवं Indemnity Bond एवं तकनीकी सदस्य द्वारा किये गये अनुशंसा के आलोक में आपके द्वारा प्रस्तुत आवासीय / व्यवसायिक / औद्योगिक / संस्थागत भवन संबंधी बी०डी० केश नं० ....876/12–13.......... के नक्शे की स्वीकृति प्रबन्ध निदेशक, खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद द्वारा प्रदान की गई है।

निदेशानुसार सूचित करना है कि............ कोलाकुसमा .... मौजा अन्तर्गत खाता नं० 45, 122 .... प्लोट नं० 1205, 1206, 1220 .... रकबा 11 कठा .... भूमि पर स्वीकृत नक्शे के अनुसार लाईसेंसी अभियन्ता श्री ....कुमुद रंजन.......... की देख–रेख में कार्यारम्भ के पूर्व निर्धारित प्रपत्र में अधोहस्ताक्षरी को कार्यारम्भ की जानकारी उपलब्ध करायेंगे।

स्वीकृत नक्शे के अनुसार अधिकतम 2 वर्षो में कार्य पूर्ण कर अधिनियम के प्रावधानों के तहत निर्माण पूरा होने की लिखित जानकारी अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे।

प्रबन्ध निदेशक के लिखित पूर्वानुमति के बगैर किये गये किसी भी विचलित निर्माण को नियमित नही किया जा सकेगा, बल्कि उसे तोड़ना ही एकमात्र विकल्प होगा।

खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार के संबंधित पदाधिकारी से निर्माण कार्य का निरीक्षण समय–समय पर कराना सुनिश्चित करेंगे।

आप स्वीकृत नक्शे में दर्शाये नाली से हटकर अन्य नाली का निर्माण नहीं करेंगे।

माडा भवन विनियमन के दायरे में आवासीय / व्यवसायिक / औद्योगिक / संस्थागत भवन निर्माण हेतु स्वीकृत नक्शा, स्वत्व, अधिकार एवं दखल का प्रमाण नहीं है।

जिस प्रयोजन के लिये भवन निर्माण का नक्शा स्वीकृत किया गया है निर्मित भवन का व्यवहार उसी प्रयोजन के लिये किया जा सकेगा।

जल संरक्षण एवं पर्यावरण सुरक्षा हेतु आवश्यक प्रबंध के लिये आप स्वंय जिम्मेवार रहेंगे तथा स्वीकृति आदेश राज्य सरकार / नेशनल बिल्डिंग कोड के अद्यतन आदेशों, निदेशों एवं प्रावधानों से स्वतः प्रभावित होगा।

आवेदक द्वारा उपकर के मद में 25 % कुल रू0–55060/– जमा किया गया है। शेष राशि आवेदक द्वारा सहायक श्रमायुक्त,धनबाद के कार्यालय में जमा करना स्वयं सुनिश्चित करेंगे।

EV

नगर निवेशक / तकनीकी सदस्य
खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार
धनबाद।

ज्ञापांक– T.P. 195 / नगर निवेशन, दिनांक 10/5/13

प्रतिलिपि– श्री ....कुमुद रंजन,.......... लाईसेंसी अभियन्ता, धनबाद / चास–बोकारो।
2–सहायक श्रमायुक्त,धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Brajal Pratap Sri Rathore

नगर निवेशक / तकनीकी सदस्य
खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार
धनबाद।

Sangeeta Pathak

32
09/5/13